

स्टैटिक GK · Static GK

भारत के संवैधानिक और वैधानिक निकाय: अंतर, अनुच्छेद, शक्तियाँ एवं संपूर्ण मार्गदर्शिका

संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकायों में अंतर, प्रमुख अनुच्छेद, नियुक्तियाँ, निष्कासन प्रक्रिया और परीक्षा उपयोगी ट्रिक्स का संपूर्ण विश्लेषण।

स्टैटिक GK · Static GK

1. निकायों के तीन प्रकार

- संवैधानिक: संविधान के अनुच्छेदों में उल्लिखित (ECI, CAG)
- वैधानिक: संसद के कानून द्वारा स्थापित (NHRC, CVC)
- कार्यकारी: कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा गठित (NITI आयोग)

स्टैटिक GK · Static GK

2. प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

- अनुच्छेद 324: भारत निर्वाचन आयोग
- अनुच्छेद 148: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)
- अनुच्छेद 280: वित्त आयोग; अनुच्छेद 315: UPSC/SPSC

स्टैटिक GK · Static GK

3. परीक्षा के मुख्य भ्रम (Traps)

- SPSC सदस्यों को नियुक्त राज्यपाल, पर हटाते राष्ट्रपति हैं
- NCBC अब संवैधानिक है (अनुच्छेद 338B), पहले वैधानिक था
- CVC का कार्यकाल अनोखा है: 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

संवैधानिक निकाय
आधार

संविधान के विशिष्ट अनुच्छेद

वैधानिक निकाय आधार

संसद/विधानमंडल द्वारा पारित कानून
(Statute)

नीति आयोग की प्रकृति

कार्यकारी/गैर-सांविधिक निकाय (1
जनवरी 2015)

CAG का संवैधानिक
अनुच्छेद

अनुच्छेद 148

वित्त आयोग का गठन

प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद
280)

UPSC कार्यकाल व
आयु सीमा

6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

निम्नलिखित में से कौन-सा एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) नहीं है?

A वित्त आयोग

B राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

C भारत का निर्वाचन आयोग

D संघ लोक सेवा आयोग

उत्तर / Answer: B — राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) संसद के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

- A उनकी नियुक्ति और पदमुक्ति दोनों राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- B उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और पदमुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है।
- C उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं।
- D उनकी नियुक्ति और पदमुक्ति दोनों भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

उत्तर / Answer: C — अनुच्छेद 316 के तहत SPSC के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, किंतु अनुच्छेद 317 के अंतर्गत उन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends